भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2552

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज भंडार

†2552. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोबाल्ट, लिथियम और निकेल सहित महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) या अन्य एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की पहचान करने के लिए कोई अन्वेषण प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ऐसी अन्वेषण पहलों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और घरेलू उत्पादन शुरु करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(घ) महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित आयात में विविधता लाने और घरेलू शोधन और प्रसंस्करण क्षमताओं को विकसित करने की रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खनिज-समृद्ध देशों के साथ कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय साझेदारी शुरू की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;और

(च) महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत नीलामी और नियोजित खनन पहलों की वर्तमान स्थिति क्या है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय या तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): कोबाल्ट, लिथियम और निकल सहित महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता का आकलन करने के लिए कार्य सत्र (एफएस) 2020-21 से 2023-24

में 433 गवेषण परियोजनाएं शुरू की थीं और एफएस 2024-25 में 195 अन्य परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, जीएसआई ने अपने महत्वपूर्ण खनिज मूल्यांकन कार्यक्रम (सीएमएपी) के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के गौण समृद्ध क्षेत्रों के आकलन के लिए पहल की है। एफएस 2024-25 में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय राज्यों में 16 सीएमएपी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

जीएसआई द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के लिए संवर्धित संसाधन का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों पर 59 संसाधन युक्त भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) और जीएसआई के 65 भूवैज्ञानिक ज्ञापन (जीएम) नीलामी के लिए संबंधित राज्य/केंद्र सरकारों को सौंपे गए हैं। आंध्र प्रदेश के संबंध में, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों पर 4 जीआर और 2 जीएम सौंपे गए हैं जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

इसके अलावा, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) से वित्त-पोषण के लिए अब तक 54 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाओं और 9 अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों द्वारा 29 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(घ): सरकार ने आयात में विविधता लाने तथा घरेलू शोधन और प्रसंस्करण क्षमताओं को विकसित करने हेतु कार्यनीतियां बनाने सहित भारत की आयात निर्भरता को कम करने और महत्वपूर्ण खनिजों में आपूर्ति श्रृंखला को लचीली बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया गया है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाना तथा उनकी आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। अब तक 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इसके अलावा, नीलामियों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसे गहराई में स्थित 29 खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है जिनका गवेषण और खनन करना कठिन है।

- एनएमईटी विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाओं को वित्तपोषित करता रहा है।

- सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहित क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की है।

- पुनर्चक्रण के माध्यम से गौण स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन करने हेतु देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा तैयार की जा रही है।

- केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं के भाग के रूप में, आयात स्रोत में विविधता लाने और देश में उनकी आसान निकासी में सहायता करने तथा घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु 25 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ङ): जी, हां। सरकार खनिज संपन्न देशों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय साझेदारी करने के लिए काम करती रही है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

- सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, बोलीविया, मोरक्को, माली, कोलंबिया, चिली, मोजाम्बिक, मलावी, कोटे डी आइवर जैसे कई देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी), भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों (आईसीईटी) संबंधी पहल जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्लेटफार्मों पर लगी है।

- खान मंत्रालय के तत्वावधान में, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल की गई है। काबिल ने अर्जेंटीना में पांच

लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक राज्य स्वामित्व वाले उद्यम मैसर्स कैमयेन के साथ गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(च): केंद्र सरकार ने अब तक चार चरणों में 48 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा है जिनमें से 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

इसके अलावा, सरकार अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के माध्यम से खनन और धातु विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय नवाचार को बढ़ावा देती रही है। महत्वपूर्ण खनिजों पर बढ़ते जोर के कारण, महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण पर फोकस को कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है। वर्ष 2024-25 (05.12.2024 तक) के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित 5.79 करोड़ रुपये की कुल 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

*****

अनुलग्नक- I

महत्वपूर्ण खनिज भंडार के संबंध में दिनांक 11.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2552 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

तालिका: भारत में महत्वपूर्ण खनिजों का राज्य-वार भंडार

#	खनिज	राज्य	इकाई	भंडार
1	कोबाल्ट	**संपूर्ण भारत**	टन	**0**
2	ग्रेफ़ाइट	छत्तीसगढ़	टन	5,282
		झारखंड		26,04,079
		केरल		15,443
		ओडिशा		28,38,414
		तमिलनाडु		31,00,193
		संपूर्ण भारत		**85,63,411**
3	मोलिब्डेनम	संपूर्ण भारत	टन	**0**
4	निकल	संपूर्ण भारत	मिलियन टन	**0**
5	फॉस्फोरस (रॉक फॉस्फेट)	मध्य प्रदेश	टन	90,31,093
		राजस्थान		2,18,45,000
		संपूर्ण भारत		**3,08,76,093**
6	प्लेटिनम धातु समूह (पीजीएम)	संपूर्ण भारत	टन धातु सामग्री	**0**
7	पोटाश	संपूर्ण भारत	मिलियन टन	**0**
8	दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई)	संपूर्ण भारत	टन	**0**
9	टिन			
	अयस्क	छत्तीसगढ़	टन	2,101
		संपूर्ण भारत		**2,101**
	धातु	छत्तीसगढ़	टन	974
		संपूर्ण भारत		**974**

10	टाइटेनियम	केरल	टन	23,70,712
		महाराष्ट्र		3,03,551
		ओडिशा		1,26,54,141
		तमिलनाडु		6,70,221
		संपूर्ण भारत		**1,59,98,625**
11	टंगस्टन	संपूर्ण भारत	टन	**0**
12	वैनेडियम	संपूर्ण भारत	टन	**0**
13	ज़िरकोनियम	केरल	टन	1,56,509
		ओडिशा		4,76,672
		तमिलनाडु		36,285
		संपूर्ण भारत		**6,69,466**

अनुलग्नक-II

महत्वपूर्ण खनिज भंडार के संबंध में दिनांक 11.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2552 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज पदार्थों के लिए एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से विभिन्न कट-ऑफ और ग्रेड पर जीएसआई (राज्य-वार) द्वारा संवर्धित संचयी संसाधन का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	खनिज पदार्थ (मिलियन टन में)														
	आरईई-आरएम	नाइओबियम	पीजीई	ग्रेफाइट	ग्लौकोनाइट/ पोटाश	फॉस्फोराइट	टाइटेनियम	गैलियम	वैनेडियम	मोलिब्डेनम	टंगस्टन	लिथियम	निकल	कोबाल्ट (टन में)	टिन
असम	30.51														
आंध्र प्रदेश				**0.43**											
अरुणाचल प्रदेश				13.6					0.38						
बिहार	5.84				300										
छत्तीसगढ़					4.14	20		30.5	11.6						
गुजरात	192.67	282													
हरियाणा											1.35				3
झारखंड	0.009				138.27		28.7	12.9	17.73						
जम्मू और कश्मीर												5.9			
कर्नाटक	0.75												2.4	275	
केरल			0.3										0.2		
महाराष्ट्र	0.046														
मध्य प्रदेश				15	23.91			28.7	38.67						
ओडिशा				0.99									2.1		
राजस्थान					354.02						20.12	6.4			
उत्तर प्रदेश	0.342				9.66		12.6	2.5	2.72						
तमिलनाडु			0.7	2.02						1.7	0.07				
पश्चिम बंगाल	0.67														
कुल	**230**	**282**	**1**	**32**	**830**	**20**	**41**	**74**	**71**	**1.7**	**21.5**	**12.3**	**4.7**	**275**	**3**

अनुलग्नक-III

महत्वपूर्ण खनिज भंडार के संबंध में दिनांक 11.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2552 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

एमएमडीआर अधिनियम, 2015 में संशोधन के बाद से सौंपी गई जीएसआई की संसाधन युक्त महत्वपूर्ण खनिज भूवैज्ञानिक रिपोर्टों का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का शीर्षक	पदार्थ	यूएनएफसी चरण	एफएसपी वर्ष
1	पूर्वी गोदावरी	रामपचोदावरमतालुक, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में चिन्नागलीकोंडा-पोटावरम में टंगस्टन और ग्रेफाइट खनिजीकरण के लिए प्रारंभिक गवेषण।	ग्रेफ़ाइट	जी3	2016-17
2	विजयनगरम	गुम्पमकोंडा ब्लॉक, विजयनगरम जिला, आंध्र प्रदेश में मैंगनीज और कोबाल्ट के लिए सामान्य गवेषण।	मैंगनीज, कोबाल्ट	जी2	2022-23
3	पूर्वी गोदावरी	बुरुगुबंदा ब्लॉक, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में ग्रेफाइट और संबंधित तत्वों के लिए सामान्य गवेषण।	ग्रेफ़ाइट	जी2	2021-22
4	अनंतपुर	अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में रामगिरी-पेनकाचेरला सिस्ट बेल्ट में बालेपालयम क्षेत्र के पास टंगस्टन और संबंधित खनिजीकरण के लिए प्रारंभिक गवेषण।	टंगस्टन	जी3	2022-23

जीएसआई के सौंपे गये भूवैज्ञानिक ज्ञापनों का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	भूवैज्ञानिक ज्ञापन का शीर्षक	कार्य सत्र वर्ष	ब्लॉकों की संख्या	पदार्थ
1	कडपा	तातिरेड्डीपल्ले ब्लॉक, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश में लिथियम खनिजीकरण	2021-22	1	लिथियम
2	विजयनगरम	पारसम-गरुड़बिल्ली क्षेत्र, विजयनगरम जिला, आंध्र प्रदेश में ग्रेफाइट, मैंगनीज और संबंधित खनिजीकरण के लिए टोही सर्वेक्षण (जी4)	2022-23	1	ग्रेफाइट